फा.सं. आ.नि.(पद्धति)-III/आईटीआर-V एक्सटेंशन/2012-13

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आयकर महानिदेशालय (पद्धति), नई दिल्ली

सी पी आर योजना 2011 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 01/2013

दिनांक: 7 जनवरी, 2013

विषय :- निर्धारण वर्ष 2010-11 निर्धारण वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए आई टी आर- V फार्म दाखिल करने के लिए समय सीमा को बढ़ाना –

के.प्र.कर.बोर्ड अधिसूचना सं. एस ओ 16 (ई) दिनांक 04.01.2012 द्वारा जारी विवरणियों की केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग योजना, 2011 के खण्ड (7) के पैरा 4 के साथ पठित खण्ड (ii) के पैरा 14 के अतंर्गत शाक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर महानिदेशक (पद्धति) द्वारा निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए (वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान दाखिल किए गए) और निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए (01.04.2011 को या उसके बाद दाखिल) इलेक्ट्रनिकली दाखिल किए गए आयकर विवरणियों के फार्म (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के बिना) से संबंधित आई टी आर- V फार्म दाखिल करने के लिए समय सीमा को एतद्द्वारा 28 फरवरी, 2013 तक बढ़ाया जाता है । 2012-13 के लिए दाखिल की गई विवरणियों के संबंध में जिसके लिए आई टी आर- V फार्म जो अभी सी पी सी में प्राप्त किए जाने है एवं और जिनकी 120 दिन की अवधि भी समाप्त हो गई है, उनके आई टी आर- V दाखिल करने के लिए समय सीमा 31 मार्च, 2013 तक बढ़ा दी गई है या इलक्ट्रानिक विवरणी डाटा को अपलोडिगं करने की तारीख से 120 दिन की अवधि के अन्दर, जो भी बाद में हो दाखिल किए जा सकते है ।

यह निदेश ऐसे करदाताओं की कठिनाई और शिकायतों को कम करने के लिए जारी किए गए है, जिनका आई टी आर- V फार्म उचित कारणों वश निर्धारित समय पर जमा नहीं हो सका है ।

हस्ता/-

(रानी सिंह नायर)

आयकर महानिदेशालय (पद्धति)

प्रतिलिपि सेवा में,

1. अध्यक्ष तथा सदस्य के;प्र.कर.बोर्ड, नई दिल्ली के पी पी एस ।
2. सभी मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक- इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने क्षेत्रों/ प्रभारों में सभी अधिकारियों में प्रचालित करने की कृपा करें ।
3. जे एस (टी पी एल)-I और II/ के.प्र.कर.बोर्ड के मीडिया कोऑर्डिनेटर और सरकारी प्रवक्ता ।
4. आयकर निदेशक (आयकर)/(जं.स.मु.प्र. एवं रा.भा.)/आयकर निदेशक (लेखा परिक्षा)/ आयकर निदेशक (सर्तकता)/आयकर निदेशक (पद्धति)- I,II,IV,V/आयकर आयुक्त (ओएसडी) (पद्धति) /आ.आयुक्त (सीपीसी) ।
5. के.प्र.कर.बोर्ड के टी पी एल और आई टी ए प्रभाग ।
6. भारत का चार्टर्ड लेखाकार संस्थान, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली ।
7. वेब मैनेज़र, "incometaxindia.gov.in" को वेबसाईट पर प्रदर्शित करने के लिए ।

7/1/13

(एस.के.मिश्रा)

आयकर निदेशक(पद्धति) –III